न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 25/25

1. सरपंच ग्राम पंचायत लहचोरा कलां तहसील बयाना, राजकुमारी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाटव, निवासी ग्राम नगला मेघसिंह तहसील बयाना, जिला भरतपुर राज0
2. ग्राम विकास अधिकारी लहचोरा कलां तहसील बयाना देवकीनन्दन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी सुभाष नगर भरतपुर जिला भरतपुर (राज0)

— प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर (राज0)

— अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:-2/1/26

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट

उपस्थिति:– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थी

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि पुराना आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 18 बिस्वा, जिसके बन्दोबस्ती विभाग में नवीन खसरा नम्बर 485 रकबा 0.04, 497 रकबा 0.04, 239/660 रकबा 0.05, 503/331 रकबा 0.02 किता–4 कुल रकबा 0.15 ऐयर वाके ग्राम चौखण्ड तहसील बयाना में बनाये गये है पुराने नक्शा सीट में पुराना खसरा नम्बर 101 आबादी के लिए खसरा नम्बर 102 गैरमुमकिन रास्ता था लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो ने आबादी में जाने के लिए खसरा नम्बर 239/660 बनाया गया है जो नवीन नक्शा में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है आराजी खसरा नम्बर 239/660 रकबा 0.05 ऐयर का जमाबन्दी संवत् 2075–2078 अमल दरामद करते समय 229/660 रकबा 0.05 ऐयर बंजड दर्ज कर दिया है जो कि रिकार्ड व मौका के विपरीत दर्ज कर दिया है प्रार्थीगण ने मौके पर दिनांक 29.05.2025 को जाकर देखा और मौके पर रास्ते को पक्का करने गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि मौके पर 239/660 के स्थान पर 229/660 जमाबन्दी अंकित है इसलिए शुद्धि न हो तब तक पक्का रोड नही बना सकते है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2075–2078 ग्राम चौखण्ड में आराजी खसरा नम्बर 229/660 रकबा 0.05 बंजड के स्थान पर 239/660 रकबा 0.05 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना को उक्त प्रकरण में मौके तथा रिकार्ड बाबत लिखा गया।

तहसीलदार बयाना ने पत्रांक/LR/25/3632 दिनांक 29.09.2025 से उक्त प्रकरण मे रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम चौखण्डा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 229/660 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बंजड सिवायचक के रूप में दर्ज है जो कि गलत है जबकि ग्राम चौखण्डा के वर्तमान प्लास्टिक नक्शा सीट मे यह 239/660 दर्ज रिकोर्ड है जो कि सही है परन्तु मोबाइल मे ऑनलाइन भूनक्शा राज0 पर उपलब्ध नक्शे में यह 239/660 के बजाय जमाबंदी मे दर्ज अनुसार खसरा नम्बर 229/660 के रूप मे खुलता है जो कि गलत है भूप्रबंध विभाग की मिसल बंदोबस्त में यह खसरा नम्बर 239/660 रकबा 0.05 है0 किस्म बंजड दर्ज है तथा यह ख0न0 239/660 रकबा 0.05 है0 किस्म बंजड साबिक खसरा नम्बर 102 से बना है तथा भूप्रबंध विभाग के खसरा पत्रांक में भी नवीन ख0न0 239/660

रकबा 0.05 है0. गत भूमाप में ख0न0 102 दर्ज रिकॉर्ड है अतः खसरा पत्रांक व मिसल बंदोबस्त के आधार पर ग्राम चौखण्डा की जमाबंदी संवत 2075–2078 में दर्ज ख0न0 229/660 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बंजड के स्थान पर खसरा नम्बर 239/660 रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म बंजड सिवायचक के रूप में शुद्ध किया जाना उचित है, की अभिशंषा की है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस एड0 प्रार्थीगण को सुनने के उपरान्त हमनें पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमावन्दी सम्वत 2075–78 ग्राम चौखण्डा, जमावन्दी सम्वत 2051–70 फोटोप्रति, अक्स शजरा किश्तवार मौजा चौखण्डा तहसील बयाना सन् 1985 की फोटोप्रति, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/3632 दिनांक 29.09.2025 मय संलग्न दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल, खसरा पत्रक भूप्रबन्ध विभाग, जमावन्दी नकल, नक्शा शीट की कॉपी, भू नक्शा कॉपी का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम चौखण्डा तहसील बयाना के आराजी खसरा नम्बर 229/660 रकबा 0.05 बंजड को कलमजन कर 239/660 रकबा 0.05 बंजड करें। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना